(नियम 20)

अज अदालत – न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

ईश्वरराम आदि –बनाम– सरपंच मालासर आदि

किस्म मुकदमा :– 75 एलआरए

नं0 01/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/05/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैंप कतरियासर पर प्रस्तुत हुई। अपीलांटस व रेस्पोडेंटान उपस्थित। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस आपसी सहमति से प्रस्तुत अपील का निस्तारण चाहते है।

2– कथन उभयपक्ष सुना गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है।

3– संक्षेप में मामले से संबंधित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि साबिका आराजी संख्या 426 तादादी 75 बीघा 11 बिस्वा भूमि जो ग्राम कतरियासर तहसील बीकानेर में स्थित है, जिसके खातेदार फूसाराम पुत्र राजूराम जाति जाट साकिन देह था। उक्त फूसाराम की मृत्यु के उपरान्त उसकी फौतगी का विरासतन के आधार पर इन्तकाल संख्या 507 उसके वारिसन पत्नि मु0 बाली एंव पुत्रगण सर्व श्री ईश्वरराम, शेराराम, भूराराम व चौथाराम के नाम सरपंच ग्राम पंचायत मालासर ने स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से नाराज होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया है कि अपीलांट संख्या 4 तोलूराम का नाम चौथाराम गलत रूप से इन्तकाल में दर्ज कर दिया जो चौथाराम के गलत नाम की हद तक इन्तकाल विधि विरूद्ध हो जाता है तथा निरस्तनीय भी जो जाता है। अतः चौथाराम के स्थान पर तौलूराम दर्ज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिया जावे।

4– इस अपील के प्रत्यर्थीगण को सम्मन भिजवाये गये जो तामील होने पर वे आज कैंप में हाजिर है। स्व0 फूसाराम की पत्नि बाली व उसके पुत्र भगवानाराम की भी मृत्यु हो गयी है। मृतक भगवानाराम के वारिस उसकी तीन पुत्रियां रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 जेठी, हीरा व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सीमा है। रेस्पोडेंट प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रकट कर रहें हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांटस की अपील पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है तथा इस बाबत् तहसीलदार बीकानेर को पुनः जांच कर फूसाराम के समस्त वारिसान के नाम इन्तकाल तस्दीक करने एवं तोलूराम का नाम चौथाराम के स्थान पर दुरूस्त करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

5— परिणास्वरूप अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट तोलूराम के बजाय चौथाराम दर्ज करने की हद तक इन्तकाल निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बीकानेर को पत्रावली प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि मृतक फूसाराम के समस्त वारिसान की जांच करते हुवे तथा तौलूराम का नाम गलत रूप से चौथाराम अंकित कर दिया गया की जांच करते हुवे तथा अपीलांटस को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुवे इन्तकाल विधिवत रूप से दुबारा तस्दीक किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार बीकानेर को प्रेषित की जावे।

6— निर्णय आज दिनांक 29/05/18 को कैंप कतरियासर मजमेआम में सुना गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर
कैम्प कतरियासर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner